भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000 रुपये RUPEES

पच्चीस हजार रुपये

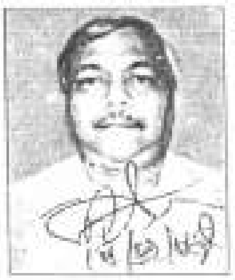

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484689

STAMP SEAL 11 MAR 2008 MATHURA

।। जय श्री रमणबिहारी ।।

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण-

1. भूमि का प्रकार- कृषि
2. वार्ड परगना - जिला मथुरा।
3. मोहल्ला/ग्राम - मौजा मुबरक बांगर
4. सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति सं0) - खसरा नम्बर 1057
5. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्गमीटर) - हैक्टेयर
6. विक्रय सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 1.003 हैक्टेयर सम्पूर्ण अंश
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) - मुख्य व लिंक मार्ग से दूर
8. पेड़ों का मूल्यांकन - नहीं

RUPEES 25000 रुपये — भारतीय गैर न्यायिक — RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 — पच्चीस हजार रुपये — RUPEES 25000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484690

007 MATHURA
STAMP SEAL
14 MAR 2008

(2)

9. बोरिंग/कुंआ/अन्य - नहीं

10. प्रतिफल की धनराशि 61,95,000/-रुपये, सरकारी रेट- 14,00,000/-रू. प्रति एकड़, देय स्टाम्प - 6,20,000/-रू, विकास शुल्क सीमा के अन्दर, कार्यक्षेत्र 30नि0 द्वितीय, मथुरा।

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484691

007 MATHURA STAMP SEAL 14 MAR 2008

{3}

<u>विक्रेता प्रथमपक्ष का विवरण (एक)</u>

1. श्री एनर्जी डवलपर्स प्रा0लि0 78 सुखदेव बिहार, नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर एच.के. गर्ग पुत्र श्री रोशनलाल गर्ग निवासी-377/1 ओल्ड फरीदाबाद (हरियाणा)

व्यवसाय- कारोबार

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (4) 484692

007 MATHURA
STAMP SEAL

<u>क्रेता द्वितीयपक्ष का विवरण (एक)</u>

1. मार्किस रियलटर्स प्रा0लि0 डी0-8वी, गली नम्बर-19 मधु विहार, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि प्रवीन मेहता पुत्र श्री दीवानचन्द मेहता निवासी- 7ए/330 फरीदाबाद (हरियाणा)

व्यवसाय - कारोबार

....

हमक्रि श्री एनर्जी डवलपर्स प्रा0लि0 78 सुखदेव विहार, नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर एच.के. गर्ग पुत्र श्री रोशनलाल गर्ग निवासी-377/1 ओल्ड फरीदाबाद (हरियाणा)

..................विक्रेता प्रथमपक्ष

Parveen Mehta

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

RUPEES 25000 रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484693

STAMP SEAL 007 MATHURA 14 MAR 2008 SEAL St. T.O.

{5}

व श्रीविन रियलटर्स प्रा0लि0 डी0-8बी. गली नम्बर-19 मधु विहार, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि प्रवीन मेहता पुत्र श्री दीवानचन्द मेहता निवासी-7ए/330 फरीदाबाद (हरियाणा)

.......................क्रेता द्वितीयपक्ष

पक्षकारगण इस लेखपत्र के है।

विदित हो कि आराजी भूमिधरी खाता संख्या 569 खसरा नम्बर 1057 रकबा

Praveen Mehta

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484694

(6)

1.003 हैक्टेयर लगानी कागजात्नुसार बाके मौजा सुनरख बांगर, तहसील व जिला मथुरा। सम्पूर्ण अंश आराजी मिलकीयत प्रथमपक्ष कम्पनी है। जो उक्त कम्पनी ने बजरिये बैनामा इकरारी मदनगोपाल पुत्र श्री थान सिंह आदि से दिनांक 12.03.2008 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक, मथुरा में बही नम्बर 1 जिल्द

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484695

007 MATHURA STAMP SEAL 14 MAR 2008

(7)

[illegible] के पृष्ठ 93-134 में नम्बर 2155 पर दिनांक 12.03.2008 हुई है, खरीद की। इस प्रकार मिलकीयत जरखरीद प्रथमपक्ष कम्पनी है। जिस पर प्रथमपक्ष कम्पनी का कब्जा है। और प्रथमपक्ष के ही कब्जा मालकाना में है। आराजी उपरोक्त हर प्रकार के वाद-विवाद व भार व झगडे-झंझटो से पाक साफ है न कोई वाद किसी न्यायालय में है न किसी का

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

RUPEES 25000 रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484636

007 MATHURA STAMP SEAL 14 MAR 2008

कोई हक व हिस्सा है और न ही कही अटैच है न किसी प्रकार का कोई दायित्व है व किसी सरकारी संस्था व्यक्ति विशेष व बैंक आदि का कोई भार है न सीलिंग में है व पट्टे की है व कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो प्रथमपक्ष को इस अन्तरण करने में कोई बाधा या रुकावट पैदा कर सके गरजे कि मिल्कीयत पाक साफ प्रथमपक्ष है और

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484697

007

STAMP SEAL

14 MAR 2008

SEAL

प्रथमपक्ष को अपनी उक्त आराजी के विषय में सम्पूर्ण अधिकार मालकाना व हस्तान्तरण आदि हर प्रकार के प्राप्त है। वर्तमान में प्रथमपक्ष कम्पनी को अपनी जरूरतों हेतु रुपयों

RUPEES
25000
रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES
25000
रुपये

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484698

SEAL
14 MAR 2008

की सख्त आवश्यकता है। इसलिये विक्रेता प्रथमपक्ष कम्पनी ने अपनी **उक्त सम्पूर्ण** अंश **आराजी** को बेच देना उचित समझा है। चुनांचि उक्त **सम्पूर्ण अंश** आराजी को उन सभी

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 484699

007 MATHURA
STAMP SEAL
2008
SEAL

हक्के के जो मुझ प्रथमपक्ष को उक्त कम्पनी की ओर से प्राप्त है अथवा भविष्य में प्राप्त हो बिला छोड़े किसी हक गुडटाइटिल के साथ बिलएवज मुबलिग 61,95,000/-रु. (इकसठ लाख पिच्यानवें हजार रुपये) जिनके आधे 30,97,500/-रु. (तीस लाख सतानवें हजार

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484700

007 MATHURA STAMP SEAL

पांच सौ रुपये) होते हैं बदस्त गार्विस रियलटर्स प्रा0लि0 डी0-8बी, गली नम्बर-19 मधु विहार, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि प्रवीन मेहता पुत्र श्री दीवानचन्द मेहता निवासी- 7ए/330 फरीदाबाद (हरियाणा) क्रेता द्वितीयपक्ष को बै कतई कर

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484728

STAMP SEAL 17 MAR 2008

दिया और बेच दिया और कीमत का कुल रुपया बजरिये चैक नम्बर 009996 तादादी 61,95,000/-रुपये दिनांक 18.03.2008 यू.टी.आई. बैंक पलवल शाखा प्रथमपक्ष ने

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

25000

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484729

MATHURA STAMP SEAL 17 MAR 2008 STAMP SEAL

द्वितीयपक्ष से वक्त रजिस्ट्री बैनामा प्राप्त करके कब्जा व दखल मालकाना प्रथमपक्ष ने अपनी बेची गई उक्त **सम्पूर्ण अंश** आराजी उक्त से अपना समाप्त करके द्वितीयपक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484730

STAMP SEAL

17 MAR 2008

मार्बिस रियलटर्स प्रा०लि० का सम्पूर्ण मालकाना व कब्जा व वाकई कब्जा करा दिया आज की तारीख से द्वितीयपक्ष सम्पूर्ण मालिक कामिल काबिज व दखील उपरोक्त आराजी

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484731

STAMP SEAL MATHURA 17 MAR2008 STAMP SEAL

(16)

की हुई और रहेगी और अपने अधिकार से बहैसियत मालिक सम्बन्धित विभाग में अपने नाम दाखिल खारिज कराये व पूर्ण अधिकार मालकाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावें

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484732

STAMP SEAL
17 MAR 2008

व स्वंय जो चाहे सो करें। अब प्रथमपक्ष कम्पनी व उसके स्थानापन्नों का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का उक्त आराजी से नहीं रहा और न भविष्य में होगा। यदि भविष्य में

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484733

STAMP SEAL 17 MAR 2008

किसी की दावेदारी से या अन्य प्रकार से बेची गई आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा द्वितीयपक्ष से निकल जावें या कोई वाद-विवाद आदि पाया जावें अथवा कोई भार निकलें

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484734

MATHURA
STAMP
17 MAR 200

तो उसकी सम्पूर्ण हर प्रकार की पूरी-पूरी जवाबदेही व जिम्मेदारी प्रथमपक्ष कम्पनी की होगी और द्वितीयपक्ष अपना मूल्य का कुल रुपया मय हर्जा-खर्चा व लागत आदि मय ब्याज के प्रथमपक्ष कम्पनी व कम्पनी की अन्य जायदाद, चल व अचल से बजरिये अदालत बाजाप्ता

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484735

STAMP SEAL 17 MAR 2008

वसूल कर लें। इसमें प्रथमपक्ष कम्पनी व उसके स्थानापन्नों को कोई आपत्ति नहीं होगी। अतः यह बैनामा स्वेच्छापूर्वक लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे । आराजी

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484736

STAMP SEAL

17 MAR 2008

उपरोक्त विकास शुल्क के <u>अन्दर</u> है तथा मुख्य व लिंक मार्ग से दूर स्थित है। किस्म सिंचित एक फसला कृषि हेतु है नकल खसरा खतौनी संलग्न है। बाजारी मूल्य-

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484737

STAMP SEAL 17 MAR 2008 STAMP SEAL

61,95,000/-रू. परन्तु कलक्टर स्टाम्प वसूली रेट 14,00,000/- रुपया प्रति एकड़ है।

स्टाम्प देय- 6,20,000/-रूपये, क्रेता विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं।

क्रमांक 32 दिनांक 18/3/08 मूल्य 150/-

नाम श्री .... पुत्र ....

पता .... किमान (11)

18/3/08

डॉ० नरेश प्रसाद आनन्द
स्टाम्प वेण्डर
फरीदाबाद, मथुरा

विक्रय पत्र

6,195,000.00/	3,470,000.00	5,000.00	20	5,020.00	800
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री / श्रीमती एच0के0 गर्ग

पुत्र / पत्नी श्री रोशनलाल

पेशा व्यापार

निवासी स्थायी 377/1 ओल्ड फरीदाबाद

अस्थायी पता 377/1 ओल्ड फरीदाबाद

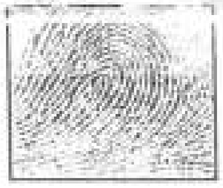

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 18/3/2008 समय 2:58PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

अरुणेश नारायण शर्मा
उप निबन्धक (द्वितीय)
मथुरा
18/3/2008

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती एच0के0 गर्ग
पुत्र/पत्नी श्री रोशनलाल
पेशा व्यापार
निवासी 377/1 ओल्ड फरीदाबाद

क्रेता

श्री/श्रीमती प्रवीन मेहता
पुत्र/पत्नी श्री दीवान चन्द मेहतामेहता
पेशा व्यापार
निवासी 7ए/330 फरीदाबाद

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री मनोज शर्मा

पुत्र श्री रामबाबु शर्मा

पेशा व्यापार

निवासी आशापुरी मथुरा

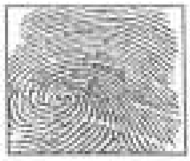

व श्री मोहन सिंह

पुत्र श्री खजान सिंह

पेशा व्यापार

निवासी बरारी मथुरा

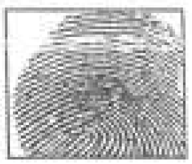

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

अरुणेश नारायण शर्मा
उप निबन्धक (द्वितीय)
मथुरा
18/3/2008

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484738

STAMP SEAL
17 MAR 2008

बेचे गये खेत में पेड़, कुंआ नही है। प्रथमपक्ष कम्पनी ने अपनी उक्त आराजी की बाबत

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484739

17 MAR 2008

कोई इकरारनामा किसी के हक में नहीं किया है। यह विक्रय पत्र क्रेता व विक्रेता के

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 213379

STAMP SEAL

13 MAR

— 25 —

निर्देशानुसार पढ़कर व सुनाकर टाइप व ड्राफ्ट किया गया है। तथा गवाहान व खरीदार की शिनाख्त के आधार पर फोटो प्रमाणित किये गये हैं।

दिनांक – 18.03.2008ई0
कम्प्यूटराइज्ड किया – दीपक
ड्राफ्ट किया – कमल नारायन पाठक दस्तावेज लेखक, मथुरा।

गो 1) मनोज शर्मा पुत्र श्रीराम बाबू शर्मा
[illegible]

गो 2) मोहन सिंह पुत्र श्री बलवान सिंह
नि० गाँव बरारी, मथुरा

क्रमांक 35 दिनांक 18/3/08 मूल्य 2000/-

नाम श्री.................................पुत्र.........

पता.................................. (handwritten)

(signature) 18/3/08

डॉ० नरेश कुमार ...
स्टाम्प विक्रेता
कोषागार, मथुरा

आज दिनांक **18/03/2008** को

वही सं **1** जिल्द सं **2762**

पृष्ठ सं **245** से **296** पर क्रमांक **2311**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

अरुणेश नारायण शर्मा
उप निबन्धक (द्वितीय)
मथुरा
18/3/2008

नक्शा नजरी मौजा सुनरखबांगर मथुरा
खसरा नं० 1057 रकबा 1-073 हैक्टेयर

Shree Energy Pvt. Limited

Authorised Distributor for L.P.G. In North
(M/S INDIAN OIL PETRONAS PVT. LTD.)

Administrative office:
419A/17, Faridabad- 121002
Tel.: 0129-2280515, Fax 2280473

BOARD RESOLUTION IN CASE OF LIMITED COMPANIES

MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS OF M/S SHREE ENERGY PVT. LTD., HELD ON 15TH MAY.,2006 AT REGISTERED OFFICE AT 11 A.M.

RESOLVED THAT HEREBY AUTHORISED TO SIGN THE REGISTRY DOCUMENTS OF SUNREKH BANGAR, VRINDAVAN DISTT MATHURA.

FURTHER RESOLVED THAT SHRI H.K. GARG DIRECTOR OF THE COMPANY IS AUTHORISED TO SIGN THE PROPERTY DOCUMENTS.

CHAIRMAN OF MEETING

FOR M/S SHREE ENERGY PVT. LTD.

15/5/06

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 07010400195 ग्राम का नाम : सुनरख बांगर परगना : वृन्दावन तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1410-1415 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संक्षेप उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।								
00569	विशन	हरप्रसाद	नि. ग्राम	1395क	78मि	2.3550		1411फ0 व आदेश श्रीमान ना0 तह0 वृन्दावन वाद सं0 147NTV/1.5.04 प्राप्त 14.6.04 खाता सं0 578 के गाटा सं0 68/8मि/0.364 व0 60ड़ के अनुसार विक्रेता खातेदार श्यामा पुत्र टीकाराम नि0 ग्राम का नाम खारिज कर बैनामा दि0 15.3.04 व 29.3.97 द्वारा क्रेतागण लक्ष्मीनारायण [illegible] पुत्र स्व0 हरीशचन्द शर्मा नि0 बी 72 शान्तीनगर [illegible] मथुरा व [illegible] पुत्र हरप्रसाद शर्मा नि0 [illegible] तह0 मांट व वेदप्रकाश अग्रवाल पुत्र मुरारीलाल नि0 82 डी कृष्णानगर व अशोक शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा नि0 26सी कृष्णानगर व खाता सं0 569 के गाटा सं0 68/8मि/0.482 है0 से विक्रेता खातेदार हरप्रसाद उर्फ [illegible] पुत्र टीकाराम (मृतक) के वारिस विशन व देवी व प्रेमपाल व प्रकाश व लक्ष्मी व राजन पुत्रगण हरप्रसाद का नाम 1/4 भाग से खारिज कर बैनामा द्वारा क्रेतागण वेदप्रकाश अग्रवाल पुत्र मुरारीलाल नि0 82 डी कृष्णानगर व अशोक शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा नि0 26सी कृष्णानगर का नाम बतौर सहखातेदार दर्ज हो ह0नि0 23.6.04। 1411फ0 व आदेश श्रीमान ना0 तह0 वृन्दावन वाद सं0 [illegible] NTV/24.4.04 प्राप्त 14.6.04 गाटा सं0 68/8[illegible]0.482 है0 मू0 रा0 4.72 के [illegible] भाग से विक्रेता खातेदार [illegible] राजन पुत्र हरप्रसाद नि0 [illegible] का नाम खारिज कर बैनामा द्वारा क्रेता [illegible] पुत्र [illegible] नि0 1394 [illegible] का नाम बतौर स0खा0 दर्ज हो ह0नि0 23.6.04	
	देवी	हरप्रसाद	नि. ग्राम	1395क	1057	1.0030			
	प्रेमलाल	हरप्रसाद	नि. ग्राम	1395क	68/8मि.	0.4820			
	प्रकाश	हरप्रसाद	नि. ग्राम						
	लक्ष्मी	हरप्रसाद	नि. ग्राम						
	राजन	हरप्रसाद	नि. ग्राम						

115

ग्राम क्रमांक : 07010400195 ग्राम का नाम : सुनरख बांगर परगना : वृन्दावन तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1410-1415 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संदर्भ उसकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
								1411फ0 व आदेश श्रीमान त0 मथुरा वाद सं0 764/ 24.5.04 प्राप्त 16.7.04 गाटा सं0 68/8मि/ 0.482 स0 4.75 के पर्याप्त भाग से विक्रेता विशन, प्रकाश पुत्रगण प्रहलाद नि0 ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता रतिश के मित्तल पुत्र एस0एस0मित्तल नि0 1394, डा0 मुखर्जी नगर दिल्ली-9 का नाम सं0भू0 कर्तरिये बैनामा दि0 22.4.04 दर्ज हो ह0ले0 16.7.04 1413फ.व आदेश नायब तहसीलदार वृन्दावन वाद संख्या 238 NT-Vता.कै.6.5.06 के अनुसार खाता स.378 के गाटा सं.68/8 मि. रकबा 0.364 है. व खाता स.569 के गा. सं.68/8 मि. रकबा 0.482 है. भू रा 60 ख के पर्याप्त भाग से विक्रेता वेदप्रकाश अग्रवाल पुत्र मुरारीलाल अग्रवाल नि. 82 डी.कृष्णानगर मथुरा व अशोक शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा नि. 26 डी कृष्णानगर मथुरा का नाम खारिज करके क्रेता मेघसिंह पुत्र किशनसिंह नि. 24-न्यू कृष्णानगर मथुरा व लाखनसिंह पुत्र चन्द्रपालसिंह व ओमपाल पुत्र ठाकुरीपालसिंह नि. अड़की तह. छाता का नाम कर्तरिये बैनामा दिनांक 2.3.06 दर्ज हो ह ARK 6.5.06 1414फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथुरा वाद संख्या 1056TM /10-07-07 के अनुसार खाता संख्या 569के गाटा संख्या 1037 रकबा 1.003 भू रा 60 ख अनुसार सेविक्रेता बिशन व देवी व प्रेमलाल व प्रकाश व लक्ष्मी व राजन पुत्रगण प्रहलाद निवासी ग्राम का नाम खारिज करके क्रेता नवलकिशोर पुत्र धर्मसिंह निवासी धोबी गली वृन्दावन व मुकेश शर्मा पुत्र रामनिवास निवासी गोपाल कुंज वृन्दावन का नाम कर्तरिये बैनामा दिनांक	

प्रभारी अभिलेख सदर, मथुरा

ग्राम क्रमांक : 07010400195 ग्राम का नाम : सुनरख बांगर परगना : वृन्दावन तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1410-1415 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संदर्भ उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
								24.05.07 के अनुसार बतौर स मृ अंकित हो र .क 10.07.07 1415फ व आदेश श्रीमान तहसीलदार मथुरा वाद संख्या 656 TM ता फै 16.06.08 के अनुसार खाता संख्या 569 खसरा संख्या 1057 रकबा 1.003हे0 भू रा 60व अनुसार से प्रथम बैनामा दिनाक 12.03.08 के आधार पर विक्रेता मथुरालाल पुत्र चन्दसिंह निवासी चौबोली वृन्दावन मुकेश शर्मा पुत्र सांवलि.आ नि जंगली कट्टी वृन्दावन का नाम खारिज करके क्रेता एनवी डवलपर्स प्राoलि0 78 सुखदेव विहार नई दिल्ली द्वारा प्रतिनिधि राजेन्द्र प्रसाद पुत्र वासुदेव नि कोठीकलों तह खाता व पुन- बैनामा दि 18.03.08 के आधार पर विक्र. श्री एनवी डवलपर्स प्राoलि 78 सुखदेव विहार नई दिल्ली द्वारा प्रतिनिधि राजेन्द्र प्रसादपुत्र वासुदेव प्रसाद नि कोठीकलों का नाम खारिज करके क्रेता गरिमा रियलटर्स प्राoलि0डी-8बीउली क-19 मधु विहार नई दिल्ली अधिकृत प्रतिनिधि प्रवीन मेह त पुत्र दीवानचन्द मेहता नि0 70/330 फरीदाबाद का नाम बजरिये बैनामा बतौर स मृ अंकित ही ह स र क 16.06.08	
					कुल गाटे : 3	कुल क्षे : 3.8400	37.65		

(3) 1663 SD NO. 2311 (3)

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

Rs. TWENTY FIVE THOUSAND

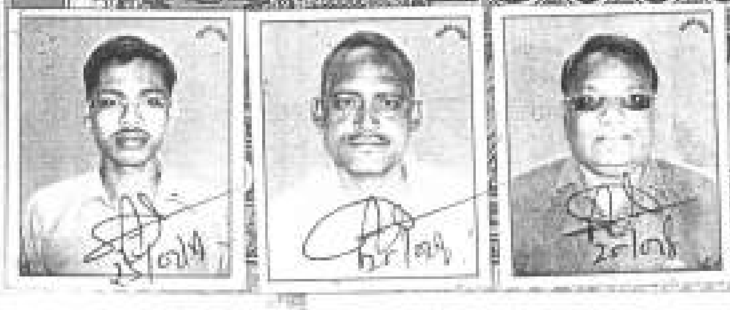

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

483864

007 25 2008

।। जय श्री रमणबिहारी ।।

इकरारनामा मुहायदा बै कब्जा रहित

सौदा 24,80,000/- रूपये

बयाना 20,00,000/- रूपये

स्टाम्प देय- 99,200/-रूपये

कार्यक्षेत्र उपनिबन्धक द्वितीय मथुरा।

....

हमकि मदनगोपाल पुत्र श्री थान सिंह निवासी- धोबी गली, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा व मुकेश शर्मा पुत्र श्री सामलिया निवासी- जंगलकट्टी, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा।

..................विक्रेता/प्रथमपक्ष

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 483806

23 FEB 2008

{2}

व श्री एनर्जी डवलपर्स प्रा0लि0 78 सुखदेव विहार नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री वासदेव निवासी- कोसीकलां, तहसील छाता, जिला मथुरा।

..................क्रेता/द्वितीयपक्ष

पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

प्रथमपक्ष/विक्रेता तथा द्वितीयपक्ष/क्रेता दोनों में उनके प्रतिनिधि कानूनी हकदार तथा वारिसान सम्मलित है। इकरारनामा की सभी निम्न शर्तें उन पर भी लागू होंगी।

INDIA NON JUDICIAL

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

TWENTYFIVE THOUSAND

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

483805

007

23 FEB 2008

{3}

विदित हो कि आराजी भूमिधरी नकल खतौनी के अनुसार खाता संख्या 566 खसरा नम्बर-1057 रकबा 1.003 हैक्टेयर लगानी कागजातनुसार बाकै मौजा सुनरख बांगर, तहसील व जिला मथुरा। सम्पूर्ण अंश आराजी मिलकीयत व खानाकागजातमाल प्रथमपक्ष है। जिसके प्रथमपक्ष मालिक व भूमिधर है। जिस पर प्रथमपक्ष का ही कब्जा है। तथा प्रथमपक्ष का ही नाम दर्ज कागजात सरकारी है। उक्त आराजी हर प्रकार से

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

213301

23 FEB 2018

(4)

झगड़े-झंझट कर्जे आदि से पाक साफ है कही रहन गिरवी आदि नहीं है। न किसी सरकारी संस्था या व्यक्ति विशेष का कोई भार है। न किसी डिग्री में कुर्क या नीलाम है। न किसी की जमानत में अटैच है। न किसी बैंक आदि का कोई भार है। यानि उक्त आराजी हर प्रकार से पाक साफ मिलकीयत प्रथमपक्ष है। सिवाय प्रथमपक्ष के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो प्रथमपक्ष को उक्त

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 295278

आराजी के बेचने व हस्तान्तरण करने में किसी प्रकार की कोई बाधा या रुकावट पैदा कर सके।"और प्रथमपक्ष को उपरोक्त आराजी की बावत हर प्रकार के मालिकाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकारात प्राप्त हैं। हम प्रथमपक्ष को अपनी व अपने परिवार की जरूरतों हेतु

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 295279

(6)

रुपयों की आवश्यकता है। इसलिये हम प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त सम्पूर्ण अंश आराजी के बेचने का सौदा व कीमत 24,80,000/- चौबीस लाख अस्सी हजार रुपये मे0एनर्जी डवलपर्स प्रा0लि0 78 सुखदेव बिहार नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री वासदेव निवासी- कोसीकलां, तहसील छाता, जिला मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 295280

क्रेता/द्वितीयपक्ष के साथ नीचे लिखी शर्तों के अनुसार तय हो गया है। जिसके दोनों पक्ष व वारिसान दोनों पक्ष सदैव पाबन्द होंगे।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 295281

(8)

1. यहकि म्याद करने बैनामा 3 (तीन) माह तय हुयी है। उक्त म्याद में हम प्रथमपक्ष अपनी उक्त आराजी की बाबत समस्त कानूनी अड़चनों की पूर्ति करके व हर प्रकार से खरीदार की संतुष्टि कराकर व मौके पर पैमाइश कराकर उसकी लिखित सूचना खरीदार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 295282

{9}

को देकर अपनी उक्त आराजी का बैनामा वहक द्वितीयपक्ष अथवा द्वितीयपक्ष की लिखित अनुमति से अन्य के नाम एक मुश्त या टुकड़ो में गुड टाइटिल के साथ पंजीकृत कर देंगे।

2. यह कि खर्चा बैनामा स्टाम्प फीस आदि सब खरीदार द्वितीयपक्ष के जिम्मे तय हुआ है।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 295929

(10)

3. यह कि हम प्रथमपक्ष की आराजी सार्वजनिक कार्यों मे सरकारी एवं गैर सरकारी व किसी सदस्यता द्वारा अधिग्रहण नहीं की गयी है।

4. यह कि हम प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से इस समय ब्याने में 20,00,000/-रुपये बजरिये चारकिता डी0डी0 प्रथम तादादी 9,00,000/-रुपये व द्वितीय डी.डी. तादादी 1,00,000/-रुपये बनाम मुकेश शर्मा व तृतीय डी.डी, तादादी 5,00,000/-रुपये व चतुर्थ डी0डी0 तादादी 5,00,000/-रुपये बनाम मदनगोपाल सभी सिंडीकेट बैंक बल्लभगढ़ शाखा वक्त रजिस्ट्री

सुमेश शर्मा

मुरारी लाल शर्मा

विक्रय अनुबंध विलेख (बिना कब्जा)

2,480,000.00 2,000,000.00 5,000.00 20 5,020.00 [illegible]00

प्रतिफल मालियत अग्रिम धनराशि फीस रजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग [illegible]

श्री /श्रीमती मदन गोपाल
पुत्र / पत्नी श्री थान सिंह
पेशा व्यापार
निवासी स्थायी धोबीगली वृन्दावन मथुरा
अस्थायी पता धोबीगली वृन्दावन मथुरा
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 25/2/2008 समय 4:03PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

22 FEB 2008
Sig CASHIER

सुरलेश नारायण शर्मा
उप निबन्धक (द्वितीय)
मथुरा
25/2/2008

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती मदन गोपाल
पुत्र/पत्नी श्री थान सिंह
पेशा व्यापार
निवासी धोबीगली वृन्दावन मथुरा

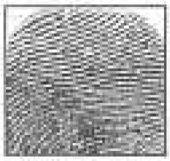

क्रेता

श्री/श्रीमती श्री एनर्जी डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा राजेन्द्र प्रसाद
पुत्र/पत्नी श्री वासदेव
पेशा व्यापार
निवासी कोसीकलां छाता मथुरा

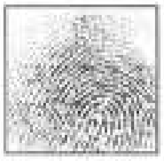

श्री/श्रीमती मुकेश शर्मा
पुत्र/पत्नी श्री सामलिया
पेशा व्यापार
निवासी जंगलकट्टी वृन्दावन मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 295930

प्रलेख हाजा प्राप्त कर लिये हैं व शेष 4,80,000/- रुपये वक्त पंजीयन विक्रय पत्र के प्राप्त करेंगे।

5. यह कि यदि हम प्रथमपक्ष उपरोक्त समय में आराजी का विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष अथवा द्वितीयपक्ष की लिखित अनुमति से अन्य के नाम न करूं तो द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 295931

कि एडवांस का दिया कुल रुपया 20,00,000/- रुपया गुजरा करके सक्षम न्यायालय से बैनामा करा ले और कब्जा प्राप्त कर ले। इस स्थिति में द्वितीयपक्ष के समस्त हर्जे-खर्चे की जिम्मेदारी हम प्रथमपक्ष की होगी। जिसको द्वितीयपक्ष नियमानुसार वसूल कर सकेंगे।

6. यह कि आराजी का कब्जा वक्त बैनामा नियमानुसार गुड टाईटिल के साथ द्वितीयपक्ष को दिया जायेगा।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 764043

7. यह कि नुक्श कानूनी पायी जावें की दशा में विक्रेता प्रथमपक्ष जुर्म नताइज कानूनी के जिम्मेदार रहेंगे।

अतः यह इकरारनामा मुहायदा बै कब्जा रहित अपनी राजीखुशी से लिख दिया कि प्रमाण

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 764044

रहे और समय पर काम आवे। यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार गवाहों के समक्ष पढ़कर व सुनकर टाइप व ड्राफ्ट किया गया है।

तहरीर दिनांक – 25.02.2008ई0
कम्प्यूटराइज्ड किया– दीपक
ड्राफ्ट किया– अलख निरंजन कातिब, मथुरा।

आज दिनांक 25/02/2008 को

वही सं 1 जिल्द सं 2736

पृष्ठ सं 241 से 268 पर कमांक 1663

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

अरूणेश नारायण शर्मा

उप निबन्धक (द्वितीय)

मथुरा

25/2/2008

अधिनियम की धारा 16- 1663/08

के अन्तर्गत इकरारनामा सं०

वर्ष 2008 पर अदा किया गया

स्टाम्प शु० 95100 विक्रय विलेख सं० 55/08

के साथ समायोजित किया गया।

उ०नि० II मथुरा

12-3-08

(3) 2155/2008 SD. NO. 2811 dt. 18/3/08. (3) (4)

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

(3)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

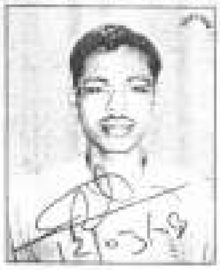

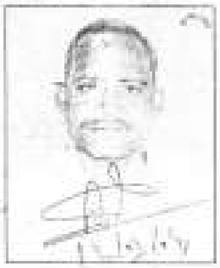

484448

STAMP ... SEAL

॥ जय श्री रमणबिहारी ॥

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण-

1. भूमि का प्रकार- कृषि भूमि
2. मोहल्ला ग्राम - **मौजा सुनरख बांगर**
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर/वर्गमीटर) - हैक्टेयर
4. विक्रय सम्पत्ति का क्षेत्रफल- 1.003- हैक्टेयर सम्पूर्ण अंश
5. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) - मुख्य एवं लिंक मार्ग से दूर स्थित है
6. पेड़ों का मूल्यांकन - नहीं
7. बोरिंग/कुंआ/अन्य - नहीं

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 484449

(2)

8. प्रतिफल की धनराशि 24,80,000/- रूपये, सरकारी रेट- 14,00,000/-रूपये प्रति एकड़ लेकिन उक्त आराजी कम्पनी द्वारा क्रय की जा रही है, इसलिये सरकारी रेट में 20 प्रतिशत की वृद्धि करके सरकारी रेट 16,80,000/-रूपये प्रति एकड़ से मालियत- 41,67,000/-रूपये, जो संशोधित दर सूची में पेज नम्बर 1 क्रमांक 2 पर दर्ज है, आयद स्टाम्प- 4,16,700/-रूपये, मुजरा किया स्टाम्प- 99,100/-रूपये, वर्तमान देय स्टाम्प- 3,17,600/-रूपये, विकास शुल्क सीमा के अन्दर, क्षेत्र उपनिबन्धक द्वितीय, मथुरा।

<u>विक्रेता प्रथमपक्ष का विवरण (दो)</u>

1- मदनगोपाल पुत्र श्री थान सिंह निवासी- धोबी गली, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा व मुकेश शर्मा पुत्र श्री सामलिया निवासी- जंगलकट्टी, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा।

व्यवसाय- कारोबार

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 484450

(3)

<u>क्रेता द्वितीयपक्ष का विवरण (एक)</u>

1- श्री एनर्जी डवलपर्स प्रा0लि0 78 सुखदेव बिहार, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री वासदेव निवासी- कोसीकलां, तहसील छाता, जिला मथुरा।

व्यवसाय- कारोबार

....

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 484451

STAMP SEAL MAR2004 STAMP SEAL

(4)

हमकि मदनगोपाल पुत्र श्री थान सिंह निवासी- धोबी गली, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा व मुकेश शर्मा पुत्र श्री सामलिया निवासी- जंगलकट्टी, वृन्दावन, तहसील व जिला मथुरा।

.........विक्रेता प्रथमपक्ष

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484452

STAMP SEAL
11 MAR 2008
STAMP SEAL

(5)

एवं श्री एनर्जी डवलपर्स प्रा०लि० 78 सुखदेव बिहार, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री वासदेव निवासी- कोसीकलां, तहसील छाता, जिला मथुरा

............क्रेता द्वितीयपक्ष

पक्षकारगण इस लेखपत्र के हैं। विदित हो आराजी भूमिधरी नकल खतौनी के अनुसार खाता

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484453

STAMP SEAL
11 MAR 2008
STAMP SEAL

(6)

संख्या 569, खसरा नम्बर 1057 रकबा 1.003 हैक्टेयर लगानी कागजातनुसार वाकै मौजा सुनरख बांगर, तहसील व जिला मथुरा। सम्पूर्ण अंश आराजी मिलकीयत व खानाकागजात माल प्रथमपक्ष है। जिसके प्रथमपक्ष मालिक व भूमिधर है। जिस पर प्रथमपक्ष का कब्जा है। सिवाय

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484454

STAMP SEAL

11 MAR 2008

प्रथमपक्ष विक्रेता के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है। और न किसी भी जगह रहन व गिरवी आदि है । और न किसी भी सरकारी, अर्द्ध सरकारी, वित्तीय संस्था व बैंक आदि में बन्धक है। और न ही किसी भी न्यायालय में जमानत में अटैच व कुर्क है। यानि उपरोक्त

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 484455

STAMP SEAL
11 MAR 2008

(8)

आराजी हर प्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे आदि से पाक साफ मिलकीयत प्रथमपक्ष है तथा प्रथमपक्ष विक्रेता का ही नाम दर्ज कागजात सरकारी है। यानि कि मालिक काबिज व दखील प्रथमपक्ष हैं। प्रथमपक्ष ने **अपनी उक्त सम्पूर्ण अंश आराजी** को बेचने का इकरारनामा दिनांक

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484456

STAMP SEAL
11 MAR 2008
STAMP SEAL

{9}

25.02.2008 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय उपनिबन्धक, मथुरा में बही नम्बर 1 खण्ड 2736 के पृष्ठ 241-268 में नम्बर 1663 पर दिनांक 25.02.2008 हुई है, वहक द्वितीयपक्ष तय कर रखा है। अब प्रथमपक्ष को उक्त इकरारनामा की शर्तों के अनुसार द्वितीयपक्ष के हक में बैनामा पंजीकृत करना

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484457

STAMP SEAL

11 MAR 2008

आवश्यक् है। चुनाँचि अपनी **उक्त सम्पूर्ण अंश आराजी** को समस्त अधिकारों सहित जो प्रथमपक्ष विक्रेता को प्राप्त हैं, अथवा भविष्य में प्राप्त होते हों, यानि कुल को बिला छोड़ें आराजी के स्वामित्व अधिकार हित सम्भावित व निहित को बिलएवज मुबलिग 24,80,000/- चौबीस लाख

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484458

STAMP SEAL
11 MAR 2008
STAMP SEAL

{11}

अस्सी हज़ार रुपये जिनके आधे 12,40,000/- बारह लाख चालीस हजार रुपये होते हैं बदस्त **श्री एनर्जी डवलपर्स प्रा०लि० 78 सुखदेव बिहार, नई दिल्ली द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि राजेन्द प्रसाद पुत्र श्री वासदेव निवासी-** कोसीकलां, तहसील छाता, जिला मथुरा क्रेता द्वितीयपक्ष को पूर्ण रूपेण विक्रय कर दिया और क्रेता द्वितीयपक्ष को मालिक काबिज व दखील

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

484459

STAMP SEAL 11 MAR 2008

{ 12 }

बना दिया, और कीमत के कुल रूपयें प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष से इस प्रकार वसूल पाये कि 20,00,000/-रूपये वक्त इकरारनामा ब्याने में व 4,80,000/-रूपये नकद वक्त रजिस्ट्री बैनामा पाकर कब्जा व दखल बेची गयी उक्त **सम्पूर्ण अंश आराजी** पर खरीदार का वाकई अपने समान

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हजार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

06AA 364218

- 5 MAR 2008

पूरा मालिकाना करा दिया आज की तारीख से खरीदार कम्पनी उक्त आराजी की पूरी मालिक हो गयी। अब वह समस्त अधिकार मालिकाना, हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और खुद जो चाहे सो करे, अब विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसों का उक्त बेची गई आराजी भूमिधरी में कुछ भी हक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 487861

वरिष्ठ कोषाधिकारी 007
निर्गत तिथि 7 MAR 2008
हस्ताक्षर
मथुरा

व हिस्सा वे संबंध किसी भी प्रकार का शेष नही रहा और न आयन्दा होगा। अगर कभी कोई व्यक्ति उक्त बेची गई आराजी भूमिधरी के संबंध में दावा या झगड़ा उत्पन्न करे और जुज या कुल कब्जा आराजी भूमिधरी खरीदार से निकल जावे या किसी प्रकार का ऋण, लोन, बैंक में बंधक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 250345

आदि निकले या न्यायालय में जमानत में पाई जाये या अदैय या कुर्क आदि निकलें तो विक्रेता प्रथमपक्ष की हर प्रकार की पूरी जिम्मेदारी होगी। खरीदार अपनी कीमत का दिया गया रुपया मय हर्जा खर्चा व लागत व अदा व खर्च किये गये रुपयों को मय सूद ब्याज के विक्रेता प्रथमपक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 250346

व उसकी हर प्रकार की चल अचल सम्पत्ति से बाजाब्ता बजरिये अदालत वसूल कर ले। इसमें प्रथमपक्ष को व वारिसान प्रथमपक्ष को कुछ भी उज्र न होगा। तथा मुख्य एवं लिंक मार्ग से दूर स्थित है। उक्त आराजी भूमिधरी विकास शुल्क के <u>अन्दर</u> है उक्त विक्रीत आराजी भूमिधरी का बाजारी मूल्य 24,80,000/- रूपये है। और सरकारी रेट 20 प्रतिशत की वृद्धि करके 16,80,000/- रूपये

12-3-2008

विक्रय पत्र

2,480,000.00/	4,167,000.00	5,005.00	20	5,025.00	900
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती मदन गोपाल
पुत्र / पत्नी श्री थान सिंह
पेशा व्यापार
निवासी स्थायी धोबीगली वृन्दावन मथुरा
अस्थायी पता धोबीगली वृन्दावन मथुरा
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 12/3/2008 समय 2:45PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

3 MAR 2008
Sr. CASHIER

अरुणेश नारायण शर्मा
उप निबन्धक (द्वितीय)
मथुरा

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रु. प्रलेखानुसार उक्त

12/3/2008

विक्रेता

श्री/श्रीमती मदन गोपाल
पुत्र/पत्नी श्री थान सिंह
पेशा व्यापार
निवासी धोबीगली वृन्दावन मथुरा

क्रेता

श्री/श्रीमती एनर्जी डवलपर्स प्रा0लि0 द्वारा राजेन्द्र प्रसाद
पुत्र/पत्नी श्री वासुदेव
पेशा व्यापार
निवासी कोसीकला मथुरा

श्री/श्रीमती मुकेश शर्मा
पुत्र/पत्नी श्री सामलिया
पेशा व्यापार
निवासी जंगलकट्टी वृन्दावन मथुरा

स्टाम्प अधिनियम की धारा 16- 1663/08
के अन्तर्गत इकरारनामा सं०.........
वर्ष 2008 पर अदा किया गया।
स्टाम्प शु० ...... विक्रय विलेख सं. 5155/08
के साथ समायोजित किया गया।

उ० नि० II मथुरा
13-3-08

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 250347

प्रति एकड़ के हिसाब से विक्रय **उक्त सम्पूर्ण अंश** आराजी भूमिधरी की मालियत 41,67,000/-रू. होती है। जिस पर 4,16,700/-रूपये का स्टाम्प आयद होता है। मगर पूर्व में वक्त इकरारनामा 99,200/-रूपये का स्टाम्प अदा किया गया था। जिसमें से नियमानुसार 100/-रूपये का स्टाम्प कम करके 99,100/-रूपये का स्टाम्प मुजरा करते हुये वर्तमान में 3,17,600/-रूपये का स्टाम्प अदा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 250348

किया है। आराजी दो फसली है। उक्त बेची गई आराजी सिंचित है। आस-पास कृषि कार्य हो रहा है। खरीदार अपने नाम का दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करालें प्रथमपक्ष विक्रेता रजामन्दी देते हैं, प्रथमपक्ष व वारिसान प्रथमपक्ष कोई एतराज-नहीं करेंगे। बेची गयी आराजी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 250349

का संलग्न नक्शें में रंग लाल दिखाया गया है। उक्त आराजी में कोई पेड़, बोरिंग, कुँआ आदि नहीं है। **क्रेता विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं हैं।** अतः यह बैनामा अपनी राजी खुशी से दोनों पक्षों ने सोच समझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। उक्त बैनामा दोनों

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 768104

पक्षों के निर्देशानुसार गवाहों के समक्ष पढ़ाकर व सुनाकर टाईप व ड्राफ्ट किया गया हैं। तथा गवाहान व खरीदार की शिनाख्त के आधार पर फोटो प्रमाणित किये गये हैं।

दिनांक- 12.03.2008ई0
टाइप किया- दीपक
ड्राफ्ट किया- अलखनिरंजन कातिब, मथुरा। अलखनिरंजन

12.3.2008

आज दिनांक 12/03/2008 को

बही सं 1 जिल्द सं 2755

पृष्ठ सं 93 से 134 पर कमांक 2155

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

अरूणेश नारायण शर्मा
उप निबन्धक (द्वितीय)
मथुरा
12/3/2008

नक्शा नजरी ग्राम कुम्हरावाँ लखनऊ
खसरा नं० 1057 रकबा 1-003 हेक्टेयर